डी.आर.डी.ए.(प्रशासन) योजना के संबंध में विस्तृत विवेचन

डी.आर.डी.ए. का मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर गरीबी उन्मूलन हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को सुचारू रूप से सफल क्रियान्विति करवाना व मूल्यांकन करना रहा है। इसके प्रारम्भ से दिनांक 31.3.1999 तक प्रशासनिक व्यय का वहन विभिन्न योजनाओं में वृद्धि होने पर कुछ योजनाओं में प्रशासनिक व्यय संबंधी प्रतिशत प्रावधान नही होने पर सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर समन्वय बनाने हेतु दिनांक 1.4.99 से सी.एस.एस.योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक खर्चो के वहन के लिए डीआरडीए (प्रशासन) योजना लागू की गयी। जिसमें भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 75:25 अनुपात में फडिंग पैटर्न लागू किया गया।

डीआरडीए (प्रशासन) योजना की मार्गदर्शिका के बिन्दू संख्या 3.3 के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के वेतनमान/भत्तों में भिन्नता होने के कारण प्रशासनिक खर्चे की सीलिंग जिलों की ब्लॉक संख्या के आधार पर निम्न चार श्रेणियाॅ बनायी गयी।

कैटेगरी ए जिला	6ब्लॉक से कम	46.00लाख
कैटेगरी बी जिला	6 से 10ब्लॉक	57.00 लाख
कैटेगरी सी जिला	11 से 15ब्लॉक	65.00लाख
कैटेगरी डी जिला	15 से अधिक ब्लॉक	67.00 लाख

उपरोक्त सीमा राशि वर्ष 1999-2000 से प्रभावी की गयी तथा आगे के वर्षो के लिए कम्पाउन्डिग आधार पर 5 प्रतिशत की वृद्धि कर सीलिंग निर्धारित की गयी (बिन्दू संख्या 3.6)। वर्तमान में राजस्थान में निम्न श्रेणी के अनुसार जिला व सीमा राशि वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित मापदण्डानुसार था।

कैटेगरी ए जिला 10	6ब्लॉक से कम	95.616 लाख
कैटेगरी बी जिला 17	6 से 10ब्लॉक	118.490 लाख
कैटेगरी सी जिला 6	11 से 15ब्लॉक	135.110 लाख
कैटेगरी डी जिला	15 से अधिक ब्लॉक	-

मुख्यालय के लिए योजना की 10 प्रतिशत तक खर्चे की सीमा राशि निर्धारित की गयी (बिन्दू सं.3.7) मुख्यालय स्तर पर योजना की 10 प्रतिशत राशि, बजट आवंटित व वास्तविक खर्चे के गत वर्षो की निम्नानुसार रही:-

वर्ष	10प्रतिशत की सीमा तक राशि	आवंटित बजट	वास्तविक व्यय (राशि लाखों में)
2006-07	246.35	319.62	294.48
2007-08	258.67	303.44	301.25
2008-09	276.26	423.11	422.51
2009-10	354.23	308.91	489.80
2010-11	358.88	301.70	492.70
2011-12	503.53	519.96	518.87
2012-13	320.081	587.01	583.73
2013-14	350.99	627.56	618.50

मार्गदर्शिका के बिन्दू संख्या 3.4 के अन्तर्गत भारत सरकार से निर्धारित सीलिंग सीमा से अधिक प्रशासनिक खर्चा होने पर राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा।

प्रारम्भ के वर्षो में मापदण्डों के अनुरूप प्राप्त राशि के विरूद्व खर्चा कम होने पर निम्नानुसार बचत रही व छठे वेतन आयोग लागू करने के फलस्वरूप लगभग वेतन भत्तों में 40 प्रतिशत की वृद्धि होने पर निम्नानुसार अधिक खर्चा हुआ। (राशि लाखों में)

क्र.सं.	वर्ष	उपलब्ध राशि	खर्चा	बचत/आधिक्य
1	2001-2002	1892.290	1626.750	265.540 बचत
2	2002-2003	1959.547	1679.057	280.590 बचत
3	2003-2004	2144.050	1733.730	410.320 बचत
4	2004-2005	2303.01	1810.940	492.070 बचत
5	2005-2006	2305.310	1963.500	341.810 बवत
6	2006-2007	2258.347	1984.770	273.577 बचत
7	2007-2008	2178.683	2062.130	116.553 बचत
8	2008-2009	2461.730	3009.842	548.112 अधिक
9	2009-2010	2945.151	3466.933	521.782 अधिक
10	2010-2011	2898.374	3587.70	689.326 अधिक
11	2011-2012	3719.764	4060.301	340.537 अधिक
12	2012-2013	2758.809	4157.420	1398.611 अधिक
13	2013-14	1719.056	4152.050	2432.994 अधिक
14.	2014-15	(-) 1066.292	2060.69	3126.982अधिक नवम्बर,2014 तक